



भा.वा.अ.शि.प.-वर्षा वन अनुसंधान संस्थान

(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत: सरकार के अधीन एक स्वायत्त परिषद)


सोताई देववन, जोरहाट-785010, अरुम

ICFRE-RAIN FOREST RESEARCH INSTITUTE

(An Autonomous Body of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)

Sotai Deovan, Jorhat-785010, Assam

दूरभाष/Phone: 0376-2305101/103 ई-मेल/E-Mail ID: dir_rfri@icfre.org




संख्या /No. 11/5/99-Accts./Vol.IX/1179

दिनांक/Dated: 08.01.2024

आदेश /ORDER

इस संस्थान के सभी वैज्ञानिकों और अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि किसी भी संशोधित आधिकारिक दौरे कार्यक्रम के मामले में, संशोधित टीए फॉर्म में अधोस्ताक्षरित की स्वीकृति अनिवार्य है और आधिकारिक दौरे कार्यक्रमों के आवेदन प्रक्रिया के दौरान, दौरा अग्रिम फार्म में सेवा प्रदाता द्वारा तैनात संविदा चालकों के नाम का उल्लेख नहीं किया जा सकता है चूंकि संविदा चालक सेवा प्रदाताओं द्वारा तैनात किए जाते हैं। अतः संबंधित संविदा चालक अपना बिल सेवा प्रदाता को जमा करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा संस्थान में जमा करने के बाद बिल का निपटारा किया जाएगा। बिलों को उनके साथ जाने वाले कर्मचारियों और प्रभागध्यक्षों द्वारा उचित रूप से सत्यापित किया जाना आवश्यक है और लेखा अनुभाग में आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जा सकता है।

All Scientists, Officers and Officials of this institute are hereby directed that in case of any revised Official Tour Program, approval of the undersigned in the revised TA forms is mandatory and while processing of Official Tour Programs, name of the contractual drivers is not to be mentioned in Tour Advance forms as they are deployed by Service Providers. Therefore, the respective contractual drivers shall submit the bill to the service provider and after submission by the Service Provider the settlement bills may be properly verified by accompanying staffs and Head of Divisions for further processing at Accounts Section.


(डॉ. नितिन कुलकर्णी /Dr. Nitin Kulkarni)

निदेशक/ Director

ICFRE- RFRI, Jorhat, Assam

प्रतिलिपि/Copy to :

1. All HoDs/ GC(R)/ Under Secretary/ Section Officers/ Cell In Charges/ Centre In – charges, ICFRE-RFRI, Jorhat.
2. P.S. to the Director, ICFRE-RFRI, Jorhat.

3. IT cell for n.a.